न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 179/2017 दायर दिनांकः 14/12/2017

उनवान

1. कान्हा उर्फ कन्हैयालाल पुत्र शंकर जाति मीणा निवासी मूण्डला हाल निवासी बरलां तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत पटना पंचायत समिति अटरू तह0 अटरू जिला बारां।
2. सचिव, ग्राम पंचायत पटना पंचायत समिति अटरू तह0 अटरू जिला बारां।
3. श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू तहसील अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

वाद बाबत आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा
एवं धारा 251 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश योगी।
प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश

दिनाकः 09/02/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद पत्र अर्न्तगत धारा 251 आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 के अनुसार वाके ग्राम एवं माल मूण्डला तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 25 की ख0नं0 506 की 0.14 है0, ख0नं0 716 रकबा 0.65 है0 कुल 2 किता की 0.79 है0 आराजी वादी के दर्ज खाता चली आ रही है। नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी के पास ही एक तालाब स्थित है जो पश्चिम दिशा में है। जिसे संलग्न मानचित्र में ए.बी.सी.डी. अंकों से प्रदर्शित किया गया है। संलग्न मानचित्र वाद पत्र का एक भाग है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित ए.बी.सी.डी. अंको से प्रदर्शित तालाब में दक्षिण दिशा में होकर वादी का रास्ता था जिसमें होकर वह अपने कृषि उपकरण ट्रेक्टर—ट्रोली आदि लाता ले जाता था। परन्तु प्रतिवादी

क्रम 1 व 2 द्वारा ई.एफ. स्था पर नाला मोखा रखकर उसे खुला छोड दिया। जिसके कारण वादी का अपने खेत पर आने जाने का रास्ता अवरूद्ध हो गया। इस बाबत वादी ने दिनांक 20.11.2017 को प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि आपने रास्ते में नाला रखकर उसे खुला छोड रखा है उसे पूर्ण करवाकर मेरा रास्ता खुलासा करवाओ तो प्रतिवादीगण ने नाला मोखा का काम पूरा करवाकर रास्ता खुलासा करवो से मना कर दिया। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण द्वारा ई.एफ. स्थान पर रखे गये नाले मोखा का पूर्ण करवाकर रास्ता खुलासा करवाया जाना संभव नहीं है। यदि रास्ता खुलासा नहीं करवाया गया तो वादी अपने खेत पर आ जा नहीं सकेगा। जिसके कारण उसका खेत पडत रह जावेगा। जिससे उसको अपरिमित क्षति होगी। अस्तु वादी प्रतिवादीगण से रास्ता खुलासा करवाकर उन्हे जर्ये आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है कि वह भविष्य में पुनः रास्ते को किसी प्रकार से अवरूद्ध नहीं करे। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे अपने प्रतिनिधियों से करावे। वाद कारण दिनांक 20.11.2017 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण से वादी के खेत पर आने जाने के रास्ते में रखे गये नालों मोखो का कार्य पूरा करवाकर रास्ता खुलासा करवाने का निवेदन करने पर व प्रतिवादीगण द्वारा मना करने पर अन्तिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त स्थल ग्राम मूण्डला तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू को इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रति. क्रम. 3 बनाया गया है। वाद रास्थान टीनेन्सी एक्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि निम्न आश्य की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे किः—

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी के पास स्थित ए.बी.सी.डी. अंको से प्रदर्शित तालाब के दक्षिण दिशा में होकर बने वादी के रास्ते पर प्रतिवादीगण द्वारा ई.एफ. स्थान पर नाला 'मोखा' रखकर खुला छोडे गये कार्य को पूर्ण करवाकर रास्ता खुलासा करवाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे भविष्य में भी पुनः उक्त रास्ते में किसी प्रकार का निर्माण कर उसे अवरूद्ध नहीं करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे न अपने प्रतिनिधियों से करावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय उचित समझे प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। तहसीलदार अटरू से मौके की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि ग्राम मूंडला की 506 रकबा 0.14 है0 व ख0नं0 716 रकबा 0.65 है0 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार कान्हा पुत्र शंकर जाति मीना के दर्ज रिकार्ड है। मौके ख0नं0 363 की 9.17 है0, ख0नं0 364 की 2.75 है0, ख0नं0 710 की 1.54 है0, ख0ं0 709 की 1.26 है0, ख0नं0 513 की 4.77 है0 भूमि चरागाह के नाम दर्ज रेकार्ड है। मौके वर्तमान पूर्व से ही ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त तालाब निर्माण करवा रखा है। जिसमें वर्तमान में भी पानी भरा हुआ है। प्रार्थी पूर्व में ख0नं0 718 रकबा 1.00 है0 भूमि खातेदार बजरंगसिंह नन्दसिंह राजन्द्रसिंह वगे0 जाति राजपूत के नाम दर्ज रिकोर्ड जिस वर्तमान ख0नं0 718 पर हेमन्त पुत्र अनिल कुमार जाति ब्रा0 सा. देह का कब्जा में होगा पाया गया। प्रार्थी पूर्व में ख0नं0 718 मे से होकर ख0नं0 709 की सीमा में जाता था जिससे वर्तमान ग्राम पंचायत द्वारा ख0नं0 709 व 719 की मध्य मेड पर पाल का निर्माण करवा देने से रास्ता बद हो गया है। वर्तमा में प्रार्थी अपने खाते की आराजी ख0नं0 716 की पूर्व दिशा ख0नं0 715/1321 व 712 चारागाह भूमि है जिस पर होकर आता जाता है लेकिन बरसात में तालाब के पानी के भराव होने से रास्ता बन्द हो जाता है। अतः बाद जांच रिपोर्ट पेश है तथा साथ मौका रिपोर्ट नजरी नक्शा बनाया जाकर लाल स्याही से दर्शाया गया है। तथा साथ में वर्तमान तालाब की सीमा को लाल स्याही दर्शाया गया है। साक्ष्यवादी के तहत पी.डब्ल्यू 1 का शपथ पत्र पेश किया गया।

अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी वकील प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी के पास स्थित ए.बी.सी.डी. अंको से प्रदर्शित तालाब के दक्षिण दिशा में होकर बने वादी के रास्ते पर प्रतिवादीगण द्वारा ई.एफ. स्थान पर नाला 'मोखा' रखकर खुला छोडे गये कार्य को पूर्ण करवाकर रास्ता खुलासा करवाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे भविष्य में भी पुनः उक्त रास्ते में किसी प्रकार का निर्माण कर उसे अवरूद्ध नहीं करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे न अपने प्रतिनिधियों से करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट है कि तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट एवं अप्रार्थी कम 1 व 2 द्वारा राजकीय भूमि (चारागाह) ख0नं0 363, 364, 513 व 709 से होकर गुजरने वाले परम्परागत/कदीमी रास्ते पर निकटवर्ती तालाब की

मिट्टी डालकर पाल बना दी गई है जिससे प्रार्थी के खेतों तक जाने वाले यह परम्परागत रास्ता अवरूद्ध हो गया। सरकारी भूमि से गुजरने वाले परम्परागत/कदीमी रास्ते को मिट्टी डालकर बन्द करने का अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण का यह कृत्य अवैध व विधिविरूद्ध है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी की खाते ही आराजी ग्राम मूण्डला की खाता संख्या 25 किता 2 रकबा 0.79 है0 पर राजकीय भूमि (चारागाह) ख0नं0 363, 364, 513 व 709 से होकर गुजरने वाले कदीमी रास्ते पर निकटवर्ती तालाब की मिट्टी डालकर कदीमी रास्ता बंद न करें, उक्त रास्ते पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपने अधिनस्थ कार्मिकों से करावें।

निर्णय आज दिनांक 09/02/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां